न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/152 **दायरा दिनांक : 15.07.2025**

उनवान

रमेश चन्द आत्मज भैरूदास, जाति बैरागी, निवासी मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज. .... अपीलांट

बनाम

1. रामदयाल आत्मज भैरूदास, जाति बैरागी, निवासी मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.
2. गौरी शंकर आत्मज जमना बाई, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कचनारिया, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज.
3. रूकमणी पुत्री जमना बाई, जाति बैरागी, निवासी श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश
4. पुरूषोत्तम आत्मज बालकिशन, जाति बैरागी, निवासी झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
5. मीना पुत्री बालकिशन पत्नी शिवजी, निवासी चारभुजा मन्दिर के पास रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ राज.
6. रामजानकी पुत्री भैरूदास पत्नी कैलाश चन्द, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कचनारिया, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज.
7. सत्यनारायण आत्मज भैरूदास, जाति बैरागी, निवासी मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.
8. एच.डी.एफ.सी. बैक लिमिटेड शाखा खानपुर, जिला झालावाड राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री दिनेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.12.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1176/दावा/2024 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मालनवासा, पटवार हल्का मालनवासा, तहसील खानपुर के माल में हाल जमाबंदी संख्या नया 219 व पुराना 218 के खसरा नं. 225 रकबा 0.1214 हेक्टर, खसरा नं. 358 रकबा 2.6062 हेक्टर, खसरा नं. 452 रकबा 0.1862 हेक्टर, खसरा नं. 453 रकबा 1.1736 हेक्टर, खसरा नं. 766 रकबा 0.0486 हेक्टर कुल 5 किता की 4.1360 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय न्याय विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना तामील करवाये व बिना सुने तथा जवाब देही का अवसर दिये ही अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो कि हर प्रकार से निरस्तनीय है। अपीलांट को कभी भी न्यायालय द्वारा जारी किये गये सम्मन की विधिवत तामील नहीं हुई है, ना ही कोई नोटिस अपीलांट ने अपने मकान पर चस्पा किया हुआ ही देखा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध समस्त कार्यवाही विचाराधीन वाद में करते हुए एक तरफा निर्णय पारित किया है जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। इतना ही नहीं रेस्पोडेंट प्रतिवादी नं. 7, 8 व 9 के विरूद्ध भी अपीलांट के साथ साथ दिनांक 16.07.2024 को उनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश देने में त्रुटि की है, क्योंकि वाद पेश किये जाने पर अपीलांट व रेस्पोडेंट को नियमानुसार विधिवत तामील करवाया जाना तथा उनको अपना पक्ष रखने हेतु जवाब पेश करने, साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर एक तरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में कोई तनकीयात भी कायम नहीं की गई है तथा बिना तनकीयात ही वाद का निस्तारण कर दिया गया है जबकि तनकीयात कायम की जाकर वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना वाद का निस्तारण किया गया है जो कि सर्वथा कानून के तहत बने नियमों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। यहां पर यह भी निवेदन करना उचित होगा कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत रेस्पोडेंट नं. 1 वादी द्वारा जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है उसके पहले से ही एक वाद बउनवान मुकेश कुमार बनाम रामदयाल आदि का पेश किया हुआ है जिसमें वादी रेस्पोडेंट की इत्तला नियमानुसार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हो चुकी है तथा उसके द्वारा आज तक उक्त प्रकरण में जवाब दावा पेश नहीं किया है तथा एक वाद के चलते उसी आराजीयात के व उन्हीं पक्षकारान के मध्य चल रहा हो तो दूसरा वाद को पहले चल रहे वाद के साथ सम्मिलित करते हुए दोनों वाद का निर्णय एक साथ किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मालनवासा, पटवार हल्का मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड में कुल 5 किता कुल रकबा 4.1360 हेक्टर भूमि के बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया है तथा इसी आराजीयात के बाबत पहले से ही एक वाद इन्हीं पक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जो अभी भी जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को पूर्व में चल रहे वाद के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाई जावे तथा उक्त प्रकरण को वास्तु सुनवायी, जवाबदेही करने व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाकर ही पुनः निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट दोनों सगे भाई है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मालनवासा, पटवार हल्का मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड में कुल 5 किता कुल रकबा 4.1360 हेक्टर भूमि के बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया है जो कि संयुक्त खाते की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बउनवान मुकेश कुमार बनाम रामदयाल के नाम से धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में रामदयाल ने जवाब नहीं दिया। इसी आराजी के समानान्तर रामदयाल ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बिना सूचना के एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी और एक तरफा डिक्री पारित की। अधीनस्थ न्यायालय को दोनों दावों को कन्सोलीडेट करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमें सुना जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के वादपत्र में दिनांक 16.05.2025 को सभी पक्षो को सुनकर प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवायी का अवसर प्रदान किया है। जिसकी सत्यता हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलान्ट को जारी सम्मन से स्पष्ट हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना दिये जाने के बाद भी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित जान बूझकर नही हुआ और असत्य तथ्यो के आधार पर प्रकरण को देरीना करने के ध्येय से यह अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण में वर्णित आराजी के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट खातेदार है और एक ही परिवार के सदस्य है। सभी पक्षो को रेस्पोडेन्ट द्वारा सूचना दी गयी और बाद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की है उक्त प्राथमिक डिक्री में क्या गलती रही है यह अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मेमो में कही भी वर्णित नहीं किया है। केवल मात्र अपीलान्ट ने अपील मेमो में यह कहा है कि उसे कोई नोटिस नही दिया गया जो गलत है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 सगे भाई है और सत्यनारायण रामजानकी भी अपीलान्ट के भाई एवं बहिन है सभी परिवारजनो को नोटिस के जर्ये सूचना दी गयी, ऐसा नही हो सकता कि सभी परिवार एक ही जगह, एक ही गावं में निवास करे। अन्य पक्षो को जानकारी हो और अपीलान्ट को जानकारी न हो, ऐसा सम्भव नही है। अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने और रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के ध्येय से यह अपील प्रस्तुत की है। प्राथमिक डिक्री मे रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही रही है अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया। सभी पक्ष चाहते है कि आराजी का विधिवत रूप से बंटवारा हो और इसी कारण सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया तदुपरान्त सहमति के जवाब के कारण तनकी कायम किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री प्रदान की गयी। इसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। अपीलान्ट को किसी प्रकार से आपत्ति है तो वह अधीनस्थ न्यायालय में चुनोती देने के लिये स्वतन्त्र है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील सव्यय खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वाके ग्राम मालनवास, पटवार हल्का मालनवासा, तहसील खानपुर के माल में हाल जमाबंदी खाता संख्या नया 219 व पुराना 218 की कुल किता 5 कुल रकबा 4.1360 हैक्टर आराजी स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 5/14 दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की है जिसका कानूनन सम्मत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण वादी को आराजी उन्नत करने में व काश्तकारी करने में दिक्कत आती है और सीमा विवाद बना रहता है। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वर्णित आराजी में वादी का 5/14 हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा किया जाये तथा वादी का खाता पृथक कर कब्जा आराजी दिलवाया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण कम 3, 4 व 7 की ओर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र में चाही प्रार्थना स्वीकार है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का हिस्सा प्रतिवादीगण से अलग कर दिया जावे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2025 से वादी का वाद स्वीकार कर ग्राम मालनवास, तहसील खानपुर के माल में हाल जमाबंदी खाता संख्या नया 219 व पुराना 218 के खसरा नं. 225 रकबा 0.1214 हैक्टर, खसरा नं. 358 रकबा 2.6062 हेक्टर, खसरा नं. 452 रकबा 0.1862 हेक्टर, खसरा नं. 453 रकबा 1.1736 हेक्टर, खसरा नं. 766 रकबा 0.0486 हेक्टर कुल 5 किता की 4.1360 हेक्टर आराजी में वादी के 5/14 हिस्से का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी राजस्व रेकार्ड में अंकन कर खाता पृथक किये जाने का निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपीलांट प्रतिवादी कम 5 ने मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सम्मन की तामील कराये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है, जो निरस्त होने योग्य है। साथ ही अपीलांट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में रेस्पोडेंट नं. 1 वादी द्वारा जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है, उसके पहले ही एक वाद बउनवान मुकेश कुमार बनाम रामदयाल अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें वादी रेस्पोडेंट कम 1 को इत्तला हो चुकी है लेकिन उसके द्वारा जवाब पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय को दोनों दावों को समेकित करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मन नोटिस के अवलोकन अनुसार अपीलांट के सम्मन की तामील रिपोर्ट पर अपीलांट के पुत्र विकास बैरागी के हस्ताक्षर होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट के सम्मन की तामील उसके पुत्र पर करवायी गई। आर्डर 5, नियम 15 सी.पी.सी. के विधिक प्रावधान के अनुसार सम्मन की तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे वयस्क सदस्य पर चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है। अपीलांट ने अपील में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि विकास बैरागी उसका पुत्र नहीं है या सम्मन पर जो विकास बैरागी के हस्ताक्षर है ये हस्ताक्षर उसके नहीं है या विकास बैरागी अपीलांट के साथ निवास नहीं करता। इसी प्रकार अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में विचाराधीन एक अन्य पूर्व वाद बउनवान मुकेश कुमार बनाम रामदयाल से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे यह साबित हो सके कि एक अन्य दावा अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम मालनवास, तहसील खानपुर की खाता संख्या नयी 219 पुरानी 218 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेंट कम 1 रामदयाल पुत्र भैरूदास का 5/14 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबंदी में दर्ज वादी रेस्पोडेंट कम 1 के 5/14 हिस्से को ही अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन करते हुए खाता पृथक किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2076–2079 के अनुसार विधि सम्मत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को खारिज करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं करने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्ताक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2025 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/12/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

रमेश चन्द आत्मज भैरूदास, जाति बैरागी, निवासी मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.

.....अपीलांट

बनाम

1. रामदयाल आत्मज भैरूदास, जाति बैरागी, निवासी मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.
2. गौरी शंकर आत्मज जमना बाई, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कचनारिया, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज.
3. रूकमणी पुत्री जमना बाई, जाति बैरागी, निवासी श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश
4. पुरूषोत्तम आत्मज बालकिशन, जाति बैरागी, निवासी झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
5. मीना पुत्री बालकिशन पत्नी शिवजी, निवासी चारभुजा मन्दिर के पास रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ राज.
6. रामजानकी पुत्री भैरूदास पत्नी कैलाश चन्द, जाति बैरागी, निवासी ग्राम कचनारिया, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज.
7. सत्यनारायण आत्मज भैरूदास, जाति बैरागी, निवासी मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज.
8. एच.डी.एफ.सी. बैक लिमिटेड शाखा खानपुर, जिला झालावाड राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

.....रेस्पोडेंट

अपील नं. **2025/152**
मु.द.नं **1176/दावा/2024**

व नाराजगी डिकी अदालत–**उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**
निर्णय एवं डिकी दिनांक – **16.05.2025**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **09** माह **12** सन् **2025**

हाजरी **श्री दिनेश कुमार शर्मा** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री घनश्याम नागर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 की ओर से,
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 16.05.2025 यथावत रखी जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **19** माह **12** सन् **2025** को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा